Rajasthali Law Institute

Prelims test series

Evidence act, Sexual harassment of women at workplace-8

1)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया गया
খা৷/Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 was enacted on
 a) 22 अप्रैल, 2013/22nd April, 2013
b) 19 जून, 2013/19th June, 2013
c) 23 फरवरी, 2013/23rd February, 2013
d) 16 मई, 2013/16th May, 2013
2)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में कितने अध्याय और धाराएँ हैं?/How
many chapters and sections are there in Sexual Harassment of Women at
Workplace Act, 2013?
a) 8 अध्याय, 30 धारा/8 Chapters, 30 Sections
b) 9 अध्याय, 37 धारा/9 Chapters, 37 Sections
c) 11 अध्याय, 51 धारा/11 Chapters, 51 Sections
d) 5 अध्याय, 20 धारा/5 Chapters, 20 Sections
3)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 में शामिल है/The Sexual
Harassment of Women at Workplace Act, 2013 covers
a) केवल कार्यस्थल/Workplace only
b) केवल आवास गृह/Dwelling house only
c) कार्यस्थल और निवास स्थान दोनों/Both workplace and dwelling house
d) उपरोक्त में से कोई नहीं/None of the above
Fetd 2008
4) असंगठित क्षेत्र के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि श्रमिकों की संख्या से कम होनी चाहिए।/Sine
qua non for the unorganised sector is that the number of workers should be less
than
a) 7
b) 10

c) 50

5)गैर-सरकारी संगठनों या संघों में से नियुक्त सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाही आयोजित
करने के लिए ऐसी फीस या भत्ते का भुगतान द्वारा किया जाएगा।/The member
appointed from amongst the non-governmental organisations or associations
shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal
Committee, by the
a) पीड़ित महिला/Aggrieved Woman
b) पीठासीन अधिकारी/Presiding Officer
c) नियोक्ता/Employer
d) आंतरिक शिकायत समिति के लिए निधि आवंटित/Fund allocated for Internal Complaint
Committee
6) संबंधित जिले में "स्थानीय समिति" के नाम से जानी जाने वाली समिति का गठन कौन करेगा?/Who
shall constitute in the district concerned, a Committee to be known as the "Local
Committee"?
a) जिला मजिस्ट्रेट/District Magistrate
b) जिला अधिकारी/District Officer
c) समुचित सुरकार/Appropriate Government
d) उपरोक्त में से कोई भी/Any of the above
7)स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में में से नामित किया जाएगा और महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा।/Chairperson for Local Complaint Committee to be nominated from amongst the in the field of social work and committed to the cause of women.
a) सेवानिवृत्त न्यायाधीश/Retired Judges
b) प्रतिष्ठितं महिलाएँ/Eminent women
c) प्रतिष्ठित व्यक्ति/Eminent person
d) उपरोक्त में से कोई भी/Any of the above
8)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 8(2) में निर्दिष्ट एजेंसी के
खातों को के परामर्श से, इस तरह से बनाए रखा और ऑडिट किया जाएगा।/The
accounts of the agency referred to in Section 8(2) of Sexual Harassment of
Women at Workplace Act, 2013 shall be maintained and audited in such manner
as may, in consultation with the
a) राज्य के महाधिवक्ता/Advocate-General of the State
b) राज्य के महालेखाकार/Accountant-General of the State
c) राज्य सचिव/Secretary of the State
d) उपरोक्त में से कोई नहीं/None of the above

9)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 12(1) के तहत जांच लंबित
रहने के दौरान पीड़ित महिला को दी गई छुट्टी उस छुट्टी की होगी जिसकी वह अन्यथा
हकदार होगी।/The leave granted during pendency of inquiry to the aggrieved woman
under Section 12(1) of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013
shall be to the leave she would be otherwise entitled.
a) समवर्ती/Concurrent
b) उत्तरवर्ती/Subsequent
c) इसके अलावा/In addition
d) उपरोक्त में से कोई भी/Any of the above
10)नियोक्ता के कर्तव्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के के तहत
निपटाए जाते हैं।/Duties of employer are dealt under of the Sexual
Harassment of Women at Workplace Act.
a) अध्याय /Chapter 4
b) अध्याय 5/Chapter 5
c) अध्याय 6/Chapter 6
d) अध्याय 7/Chapter 7
11)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को
राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई?/Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013 received the assent of the
President on?
a) 8 मार्च 2013/8 March 2013
b) 22 अप्रैल 201/22 April 2013
c) 8 दिसंबर 2012/8 December 2012
d) 22 मार्च 2013/22 March 2013
12)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 क्या
2013 का अधिनियम है?/Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention,
Prohibition, and Redressal) Act 2013 is Act of 2013?
a)14
b) 37
c) 32
ed) 9 Estd. 2008
13) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का

13) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का उद्देश्य क्या है?/What is the purpose of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013?

a)कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना/Provide protection against sexual harassment of women at workplace

- b) यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण/prevention and redressal of complaints of sexual harassment
- c) उपरोक्त ए और बी दोनों/Both a and b above
- d) इनमें से कोई नहीं/None of these
- 14)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 कब लागू हुआ?\\Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 came into force on?
- a) 22 अप्रैल 2013/22 April 2013
- b) 9 दिसंबर 2013/9 December 2013
- c) 21 अगस्त 2014/21 August 2014
- d) 22 जनवरी 2015/22 January 2015
- 15) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत "अध्यक्ष" का मतलब है?/"Chairperson" under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013 means?
- a) महिलाओं पर संसदीय समिति के अध्यक्ष/Chairman of Parliamentary Committee on Women
- b) महिला एवं बाल विकास मंत्री/Minister of Women and Child Development
- c) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष/Chairperson of National Women's Commission
- d) स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष/Chairperson of the Local Complaints Committee
- 16)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत "कर्मचारी" का मतलब है?/"Employee" under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013 means?
- a) नियमित कर्मचारी/regular employee
- b) अस्थायी कर्मचारी/temporary employee
- c) तदर्थ/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी /adhoc/daily wage employee
- d) उपरोक्त सभी/All the above
- 17)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा "यौन उत्पीड़न" है?/Which among the following is a "sexual harassment" as defined under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013?
- a) शारीरिक संपर्क और प्रगति/physical contact and advances
- b) यौन संबंधों की मांग या अन्रोध/a demand or request for sexual favours
- c) अश्लील साहित्य दिखाना/showing pornography
- d) उपरोक्त सभी/All the above
- 18)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा "कार्यस्थल" के अंतर्गत नहीं आता है/Which among the

following does not come under the meaning "workplace" under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013?

- a) कोई भी निजी क्षेत्र का संगठन/any private sector organization
- b) अस्पताल या नर्सिंग होम/hospitals or nursing homes
- c) कोई खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिस/any sports institute, stadium, sports complex
- d) इनमें से कोई नहीं/None of these
- 19) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत निम्निलिखित में से कौन सा यौन उत्पीड़न हो सकता है?/Which of the following may amount to sexual harassment under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013?
- a) उसके रोजगार में अधिमान्य उपचार का निहित या स्पष्ट वादा/implied or explicit promise of preferential treatment in her employment
- b) उसके रोजगार में हानिकारक व्यवहार का निहित या स्पष्ट खतरा/implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment
- c) अपमानजनक व्यवहार से उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना है/humiliating treatment likely to affect her health or safety
- d) उपरोक्त सभी/All the above
- 20) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 किससे संबंधित है?/Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act 2013 deals with?
- a) यौन उत्पीड़न की शिकायत/Complaint of sexual harassment
- b) शिकायतों की जांच।/Inquiry into complaints.
- c) आंतरिक समिति का गठन/Constitution of Internal Committee
- d) शिकायत और जांच कार्यवाही की सामग्री को प्रकाशित करने या सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध /Prohibition of publication or making known contents of complaint and inquiry proceedings
- 21)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 2(एन) परिभाषित करती है:/Under The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 Section 2(n) defines:

Estd. 2008

- a) यौन उत्पीड़न/Sexual harassment
- b) पीड़ित महिला/Aggrieved woman
- c) 1 और 2 दोनों/both 1 and 2
- d) न तो 1 और न ही /Neither 1 and 2

22)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत कौन सी धारा "पीड़ित महिलाओं" के बारे में बात करती है?/Which Section talks about "aggrieved women" Under The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013?

- a) धारा 2(बी)/Section 2(b)
- b) धारा 2(डी)/Section 2(d)
- c) धारा 2(सी)/Section 2(c)
- d) धारा 2(ए)/Section 2(a)

23)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अनुसार, पीड़ित महिला के लिए मुआवजा निर्धारित करते समय आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को किन कारकों पर विचार करना चाहिए?/According to Section 15 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013, what factors should the Internal Committee or the Local Committee consider when determining compensation for the aggrieved woman?

- a) केवल पीड़ित महिला को हुआ मानसिक आघात और भावनात्मक कष्ट/Only the mental trauma and emotional distress suffered by the aggrieved woman
- b) केवल यौन उत्पीड़न की घटना के कारण कैरियर के अवसर में हानि/Only the loss in career opportunity due to the incident of sexual harassment
- c) शारीरिक उपचार के लिए पीड़ित द्वारा किया गया चिकित्सा व्यय/Medical expenses incurred by the victim for physical treatment
- d) मानसिक आघात, कैरियर के अवसर में हानि, चिकित्सा व्यय, प्रतिवादी की आय और वित्तीय स्थिति, और भुगतान की व्यवहार्यता/Mental trauma, loss in career opportunity, medical expenses, income and financial status of the respondent, and feasibility of payment

24)झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधान का क्या महत्व है?/What is the significance of the provision regarding false complaints?

- a) धारा 14/Section 14
- b) धारा 15/Section 15
- c)धारा 30/Section 30
- d) धारा 11/Section 11

25)According to Section 15, what is one factor considered when determining compensation?/धारा 15 के अनुसार, मुआवज़ा निर्धारित करते समय किस एक कारक पर विचार किया जाता है?

- a) पीड़ित महिला की सेवा अवधि/Length of service of the aggrieved woman
- b) पीड़ित महिला का शिक्षा स्तर/Education level of the aggrieved woman
- c) प्रतिवादी की आय और वित्तीय स्थिति/Income and financial status of the respondent
- d) कंपनी की प्रतिष्ठा/Reputation of the company

26)दावा: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत अपराध गैर-संज्ञेय हैं। कारण: गैर-संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता और अदालत की अनुमति के बिना जांच श्रू नहीं कर सकता।/Assertion:

According to Section 27 of The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013, offences under this Act are non-cognizable.

Reason: Non-cognizable offences are those for which a police officer cannot arrest the accused without a warrant and cannot start an investigation without the court's permission.

- a) दावा और कारण दोनों सही हैं, और कारण दावे के लिए सही स्पष्टीकरण है।/Both the Assertion and Reason are correct, and the Reason is the correct explanation for the Assertion.
- b) दावा और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण, दावे के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है/Both the Assertion and Reason are correct, but the Reason is not the correct explanation for the Assertion.
- c) दावा सही है, लेकिन कारण गलत है/The Assertion is correct, but the Reason is incorrect.
- d) दावा गलत है, लेकिन कारण सही है।/The Assertion is incorrect, but the Reason is correct.
- 27)नियमों की धारा 19 के अनुसार, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में नियोक्ता के कर्तव्यों में से एक क्या है?/According to Section 19 of the regulations, what is one of the duties of an employer regarding sexual harassment prevention?
- a) पीड़ित को कानूनी सलाह प्रदान करन/Providing legal advice to the victim
- b) सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच करन/Conducting background checks on all employees
- c) यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करना/Displaying information about penal consequences of sexual harassment
- d) पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना/Offering monetary compensation to the victim
- 28) जैसा कि नियमों की धारा 7 में बताया गया है, स्थानीय समिति के सदस्यों को नामांकित करने के लिए कौन जिम्मेदार है?/Who is responsible for nominating the members of the Local Committee, as outlined in Section 7 of the regulations?
- a) जिला अधिकारी/The District Officer
- b) स्थानीय समिति के अध्यक्ष/The Chairperson of the Local Committee
- c) मुख्यमंत्री/The Chief Minister
- d)जिला मजिस्ट्रेट/The District Magistrate
- 29) निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति, यदि किसी कार्य या व्यवहार के संबंध में मौजूद हो, यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति की धारा 3 के अनुसार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकती है?/Which of the following circumstances, if present in relation to any act or behavior, may amount to sexual harassment according to Section 3 of the Prevention of Sexual Harassment policy?
- a) महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना/Offering additional training opportunities to female employees

- b) किसी महिला कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन की पेशेवर तरीके से आलोचना करना/Critiquing a female employee's work performance in a professional manner
- c) यौन संबंधों के बदले पदोन्नित का निहित वादा/Implied promise of promotion in exchange for sexual favors
- d) प्रदर्शन मूल्यांकन के दौरान रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना/Providing constructive feedback during performance evaluations
- 30)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 3(1) के अनुसार, क्या निषिद्ध है?/According to Section 3(1) of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013, what is prohibited?
- a) लिंग के आधार पर भेदभाव।/Discrimination based on gender.
- b) रोजगार में अधिमान्य उपचार।/Preferential treatment in employment.
- c) किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न।/Sexual harassment at any workplace.
- d) प्रतिकृल कार्य वातावरण बनाना।/Creating a hostile work environment.
- 31)अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, क्या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को अवधि के भीतर नियोक्ता या जिला अधिकारी को अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए?/According to Section 13(1) of the Act, within period should the Internal Committee or Local Committee provide a report of its findings to the employer or District Officer?
- a) 15 दिन/15 days
- b) 20 दिन/20 days
- c) 30 दिन/30 days
- d) 10 दिन/10 days
- 32)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निवास स्थान या घर के संदर्भ में किसे "नियोक्ता" माना जाता है?/Who is considered an "employer" in the context of a dwelling place or house under The Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013?
- a) कार्यस्थल के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति।/Any person responsible for the management, supervision, and control of the workplace.
- b) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट विभाग या संगठन का प्रमुख।/The head of the department or organization specified by the appropriate Government or local authority.
- c) कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है/Any person discharging contractual obligations with respect to his or her employees
- d) घरेलू कामगारों को नियोजित करने वाला कोई भी व्यक्ति या परिवार/Any person or household employing domestic workers

33)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, किसी पीड़ित महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को किस अविध के भीतर करनी चाहिए?/According to Section 9(1) of The Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013?, within what period must an aggrieved woman make a complaint of sexual harassment at the workplace to the Internal Committee or Local Committee?

- a) घटना की तारीख से छह महीने/Six months from the date of incident
- b) घटना की तारीख से तीन महीने/Three months from the date of incident
- c) घटना की तारीख से एक महीना/One month from the date of incident
- d) घटना की तारीख से एक वर्ष/One year from the date of incident

34)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 20 के अनुसार जिला अधिकारी के कर्तव्यों में से एक क्या है?/What is one of the duties of the District Officer according to Section 20 of The Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013?

- a) स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करने की निगरानी करना/Monitoring the timely submission of reports furnished by the Local Committee
- b) यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना/Conducting inquiries into complaints of sexual harassment
- c) पीड़ित महिला को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करना/Determining the compensation to be paid to the aggrieved woman
- d) पीड़ित महिला को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना/Providing legal representation to the aggrieved woman

35)कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 17 किससे संबंधित है?/What does Section 17 of The Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013 deal with?

- a) आंतरिक समिति का गठन/Formation of the Internal Committee
- b) पीड़ित महिला के लिए मुआवजे का निर्धारण/Determination of compensation for the aggrieved woman
- c) शिकायत और जांच कार्यवाही की सामग्री को प्रकाशित करने या ज्ञात करने के लिए जुर्माना/Penalty for publication or making known contents of complaint and inquiry proceedings d)स्थानीय समिति का क्षेत्राधिकार/Jurisdiction of the Local Committee

36)भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार, अदालती कार्यवाही में प्रवेश की कानूनी स्थिति क्या है?/As per Indian Evidence Act 1872, what is the legal status of admissions in a court proceeding?

- a) स्वीकृति निश्चायक सबूत हैं/Admissions are conclusive proof
- b) स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है/Admissions are not considered as evidence
- c) स्वीकृति विबंध के रूप में कार्य कर सकते हैं/Admissions may operate as estoppels
- d) स्वीकृति हमेशा बिना किसी प्रश्न के स्वीकार किए जाते हैं/Admissions are always accepted without question
- 37)भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, एक मुकदमे में जहां अभियुक्त का पिछला अपराध प्रासंगिक है, वहां और क्या प्रासंगिक हो जाता है?/As per the Indian Evidence Act, in a trial where the accused's previous commission of an offence is relevant, what else becomes relevant?
- a) अभियुक्तों का पिछला बरी होना/The accused's previous acquittals
- b) अभिय्क्त की पिछली सजा/The accused's previous convictions
- c) अभियुक्त का चरित्र गवाह/The accused's character witnesses
- d) अभियुक्त का बहाना/The accused's alibis
- 38)भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, किसी दस्तावेज़ का निष्पादन कैसे साबित किया जा सकता है यदि प्रमाणित करने वाला गवाह उससे इनकार करता है या उसे याद नहीं है?/As per Indian Evidence Act, how can the execution of a document be proved if the attesting witness denies or does not recollect it?
- a) इसका क्रियान्वयन अन्य साक्ष्यों से सिद्ध किया जा सकता है/Its execution may be proved by other evidence.
- b) इसका निष्पादन केवल दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाएगा।/Its execution shall be proved by documentary evidence only.
- c) अदालत गवाह को फांसी स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगी।/Court shall compel the witness to admit the execution.
- d) इसके क्रियान्वयन को अन्य साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया जा सकता।/Its execution cannot be proved by other evidence.
- 39)भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता है:/Indian Evidence Act, 1872 does not explicitly address:

- a) परिस्थितिजन्य साक्ष्य/Circumstantial Evidence
- b) दस्तावेजी साक्ष्य/Documentary Evidence
- c) द्वितीयक साक्ष्य/Secondary Evidence
- d) मौखिक साक्ष्य/Oral Evidence
- 40)एस्टॉपेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:/Consider the following statements regarding to Estoppel:
- a) विबंध निजी नीति पर आधारित है/Estoppel is based on private policy
- b)विबंध अदालत के फैसले से उत्पन्न होता है/Estoppel originates from decision of court

c)विबंध के संबंध में नियम साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 के तहत निर्धारित किया गया है/The rule regarding estoppel is laid down under Section 111 of the Evidence Act. d)विबंध इक्विटी का नियम है/Estoppel is rule of equity

41)कोर्ट को दिया गया हलफनामा साक्ष्य अधिनियम में है?/The affidavit given to the Court is in the Evidence Act?

- a) साक्ष्य नहीं/not an evidence
- b) एक साक्ष्य /an evidence
- c) केवल एक लिखित बयान/merely a written statement
- d) एक सब्त/a proof

42)ए और बी के बीच सवाल यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य क्टरचित है या नहीं, ए पुष्टि करता है कि यह असली है, बी यह पृष्टि करता है कि यह क्टरचित है।

/The question between A and B is, whether a certain deed is or is not forged, A affirms that it is genuine, B that it is forged.

- a) ए स्वयं एक बयान साबित कर सकता है कि विलेख असली है, क्या बी स्वयं एक बयान साबित कर सकता है कि विलेख क्टरचित है।/A can prove a statement by himself that the deed is genuine, can B prove a statement by himself that the deed is forged.
- b) ए, बी के एक बयान को साबित कर सकता है कि विलेख असली है, और बी, ए के एक बयान को साबित कर सकता है कि विलेख क्टरचित है।/A may prove a statement by B that the deed is genuine, and B may prove a statement by A that the deed is forged.
- c) ए स्वयं यह कथन साबित कर सकता है कि कार्य वास्तविक है।/A may prove a statement by himself that the deed is genuine.
- d)ए स्वयं इस कथन को साबित कर सकता है कि विलेख क्टरचित है।/A may prove the statement by himself that the deed is forged.
- 43)किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत वैध माना गया था?/In which case section 27 of the Indian Evidence Act was held to be valid under Article- 14 of Constitution of India?
- a) अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य/Ashok kumar Vs state of U.P
- b) नाथू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य/Nathu Vs state of U.P.
- c) यूपी राज्य बनाम देवमन उपाध्याय/State of U.P. Vs Deoman Upadhyay
- d) मो. इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य/Moh. Inayathulla Vs state of Maharashtra
- 44)भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 अधिनियमित नियमों का अपवाद है:/Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872 is an exception to the rules enacted:
- a)केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 में/Only in Section 24 of the Indian Evidence Act, 1872
- b) केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 में/Only in Section 25 of the Indian Evidence Act, 1872

- c) केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 में/Only in Section 26 of the Indian Evidence Act, 1872
- d) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24, 25 और 26 में/In Sections 24, 25 and 26 of the Indian Evidence Act, 1872
- 45)निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग 'इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम' कहावत को प्रभावी बनाता है -/Which of the following section gives effect to the maxim 'interest reipublicae ut sit finis litium' –
- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 23/Section 23 of the Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21/Section 21 of the Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 165/Section 165 of the Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की दोनों धाराएं 21 और 165/Both sections 21and165 of the Evidence Act
- 46)यदि किसी व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो जाती है, तो उसकी चोटों के कारण के बारे में उसका बयान अधिनियम की धारा 32 के तहत प्रासंगिक मृत्युकालीन बयान बन जाता है। लेकिन यदि वह चोटों से बच जाता है, तो उसके बयान को अधिनियम की धारा 32 के तहत साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह निम्नलिखित के तहत प्रासंगिक हो सकता है -/The statement of a person as to the cause of his injuries becomes a dying declaration relevant under section 32 of the Act, if he subsequently dies. But if he survives injuries, then his statement cannot be proved under section 32 of the Act. But it may become relevant under -
- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21(1)/Section 21(1) of the Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 157/Section 157 of the Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21(1) या 157/Sections 21(1) or 157 of the Evidence Act
- (d) केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 और साक्ष्य की धारा 21(1) के तहत नहीं कार्य/Section 157 of the Evidence Act only and not under section 21(1) of the Evidence Act

47)साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 उन मामलों की गणना करती है जिनमें गवाहों द्वारा न्यायिक
कार्यवाही में या कानून द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिए गए साक्ष्य बाद की न्यायिक
कार्यवाही में या उसी कार्यवाही के बाँद के चरण में प्रासंगिक होते हैं। ऐसे मामले/परिस्थितियाँ संख्या में
ਨੂੰ //Section 33 of the Evidence Act enumerates the cases in which the
evidence given by witnesses either in judicial proceedings or before any person
authorized by law to take it, is relevant in subsequent judicial proceedings or in
later stage of the same proceeding. Such cases/circumstances are ir numbers.

- (a) चार/Four
- (b) पांच/Five
- (c) छह/Six
- (d) सात/Seven

48)साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के आलोक में साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य ही स्वीकार्य होगा -

बिंदु 1-यदि कार्यवाही समान पक्षों, या उनके हितों के प्रतिनिधियों के बीच थी।

बिंदुँ 2- यदि कार्यवाही समान पक्षों के बीच थी न कि उनके बीच हित में प्रतिनिधि.

बिंद् 3- यदि प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को जिरह का अधिकार था।

बिन्द् 4- यदि प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार एवं अवसर प्राप्त हो।

बिंदु 5- यदि मुद्दे में प्रश्न पहली कार्यवाही की तरह दूसरी कार्यवाही में भी काफी हद तक समान थे।

बिंदु 6- यदि मुद्दे में प्रश्न दूसरी कार्यवाही में भी पहली कार्यवाही के समान ही थे।

बिंदु 7-संबंधित प्रश्न का मूलतः एक जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्यवाही समान पक्षों के बीच थी और पहली कार्यवाही में प्रतिकूल पक्ष के पास जिरह करने का अधिकार और अवसर था।

सही कथन का चयन करें - /In light of section 33 of the Evidence Act, the evidence given by a witness will be admissible only –

Point 1-If the proceedings was between the same parties, or their representatives in interest.

Point 2- If the proceedings was between the same parties and not between their representatives in interest.

Point 3- If the adverse party in the first proceeding had the right to cross-examine.

Point 4- If the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to crossexamine.

Point 5- If the questions in issue were substantially the same in the first as in the second proceedings.

Point 6- If the questions in issue were substantially the same in the second as in the first proceedings.

Point 7-The question in issue need not to be substantially the same but the proceedings was between the same parties and the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine.

Select the correct statements -

- (a) (ii) (iv) (v)
- (b) (i) (iii) (vi)
- (c) (i) (iv) (vii)
- (d) (i) (iv) (v)
- 49)'एक्टा एक्सटीरिया इंडिकेंट इंटरविओरा' का अर्थ है -/'acta exteriora indicant interviora' means -
- (a) बाहरी क्रिया से आंतरिक रहस्य का पता चलता है।/External action reveals inner secret.
- (b) आंतरिक क्रिया बाहरी रहस्य को उजागर करती है/Inner action reveals outer secret
- (c) बाहरी क्रिया से बाहरी रहस्य का पता चलता है/External action reveals outer secret
- (d) आंतरिक क्रिया आंतरिक रहस्य को प्रकट करती है/Inner action reveals inner secret

50)स्वीकृति नहीं हो सकती -/Admission cannot -

- (a) मौखिक हो/be oral
- (b) स्वीकारोक्ति के बराबर/amount to confession
- (c) कान्न से संबंधित है/relate to law
- (d) समझाया जाए/be explained
- 51)तथ्य में शामिल नहीं है -/Fact does not include the -
- (a) हेत्/motive
- (b) वस्त् का संबंध/relation of thing
- (c) चीजों की स्थिति/state of things
- (d) किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति/mental condition of a person
- 52)मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया संस्वीकृत बयान क्या है?/A confession made to a police officer in the immediate presence of a Magistrate is?
- (a) अस्वीकार्य/Inadmissible.
- (b) प्रासंगिक./Relevant.
- (c) स्वीकार्य, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्टि की गई हो।/Admissible, if corroborated by the Magistrate.
- (d) स्वीकार्य, यदि अन्य साक्ष्यों से पुष्टि हो।/Admissible, if corroborated by other evidence.
- 53) जब कोई गवाह किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देता है जो अब तक प्रासंगिक है तो यह उसकी साख को हिला देता है -/When a witness answers any question which is relevant in so far it shakes his credit -
- (a) उसकी पुष्टि के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं।/Evidence can be given to corroborate him.
- (b) उसके खंडन के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं।/Evidence can be given to contradict him.
- (c) उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है और यदि वह गलत उत्तर देता है, झूठे साक्ष्य देने का आरोप लगाया जाएगा।/Evidence can be given to contradict him and if he answers falsely, he may be charged with giving false evidence.
- (d) उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यदि वह गलत उत्तर देता है,झूठे साक्ष्य देने का आरोप लगाया जाएगा।/Evidence cannot be given so as to contradict him but if he answers falsely, he may be charged with giving false evidence.
- 54) जब किसी व्यक्ति का दायित्व, जो मुकदमे के पक्षों में से एक है, मुकदमे के लिए किसी अजनबी के दायित्व पर निर्भर करता है, तो अजनबी द्वारा अपने दायित्व के संबंध में स्वीकारोक्ति उस व्यक्ति की ओर से स्वीकारोक्ति होगी जो कि एक पक्ष है। सूट के लिए पार्टी. ऐसा प्रावधान किया गया है/When the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to the suit, then an admission by the stranger in respect of his liability shall be an admission on the part of that person who is a party to the suit. It has been so provided
- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत/under section 21 of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के तहत/under section 20 of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 के तहत/under section 19 of Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के तहत।/under section 17 of Evidence Act.
- 55) किसी विवादित मामले पर किसी तीसरे व्यक्ति को दिए गए संदर्भ में, उस व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा, संदर्भ देने वाले पक्ष के खिलाफ एक सब्त होगी।/In a reference made over a disputed matter to a third person, the declaration so made by that person shall be an evidence against the party making a reference, by virtue of

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 17/section 17 of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 19/section 19 of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 20/section 20 of Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 I/section 21 of Evidence Act.

56)'बिना किसी पूर्वाग्रह के' किए गए संसूचना सुरक्षित हैं/Communication made 'without prejudice' are protected

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 के तहत/under section 22 of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के तहत/under section 23 of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत/under section 24 of Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत।/under section 21 of Evidence Act.

57)प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण होने वाली स्वीकारोक्ति इसमें निहित है/Confession caused by inducement, threat or promise is contained in

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 24/section 24 of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 25/section 25 of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 26/section 26 of Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27/section 27 of Evidence Act.

58)साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 लागू होती है/Section 24 of Evidence Act applies

- (a) जब प्रलोभन, धमकी या वादा अधिकार प्राप्त व्यक्ति से आता है/when the inducement, threat or promise comes from a person in authority
- (b) जब प्रलोभन अस्थायी प्रकार का हो/when the inducement is of a temporal kind
- (c) जब प्रलोभन आध्यात्मिक या धार्मिक हो/when the inducement is spiritual or religious
- (d) केवल (ए) और (बी) सही हैं।/only (a) & (b) are correct.

59)किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया संस्वीकृत बयान किसके अंतर्गत अस्वीकार्य है?/A confession made to a police officer is inadmissible under?

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 24/section 24 of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 25/section 25 of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 26/section 26 of Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27/section 27 of Evidence Act

60)साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत संस्वीकृति अस्वीकार्य है/A confession to be inadmissible under section 25 of Evidence Act

- (a) उसी अपराध से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है/must relate to the same crime for which he is charged
- (b) किसी अन्य अपराध से संबंधित होना चाहिए/must relate to another crime
- (c) उसी अपराध या किसी अन्य अपराध से संबंधित हो सकता है/may relate to the same crime or another crime
- (d) केवल (ए) सही है और (बी) गलत है।/only (a) is correct and (b) is incorrect.

61)निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा नहीं दिया गया है/Which of the following is not given by section 25 of Evidence Act

- (a) कस्टम अधिकारियों के समक्ष किया गया स्वीकृत बयान/confessions made to custom officers
- (b) रेलवे सुरक्षा बल के एक सदस्य के समक्ष कियाँ गया स्वीकृत बयान/confession made to a member of Railway Protection Force
- (c) फेरा के तहत एक अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति/confession made to an officer under FERA
- (d) उपरोक्त सभी।/all the above.

62)वापस ली हआ संस्वीकृति /A retracted confession

- (a) को केवल दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है/can be made solely the basis of conviction
- (b) को किसी भी परिस्थिति में केवल दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता/cannot be made solely the basis of conviction under any circumstances
- (c) को केवल दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए/can not be made solely the basis of conviction unless the same is corroborated
- (d) दोनों (ए) और (सी) गलत हैं/both (a) & (c) are incorrect

63)इसके अनुसार पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा की गयी संस्वीकृति अस्वीकार्य है/A confession made by a person while in police custody is inadmissible as per

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 25/section 25 of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 26/section 26 of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27/section 27 of Evidence Act
- (d) साक्ष्य अधिनियम की धारा 30/section 30 of Evidence Act

64)पुलिस हिरासत में किया गया संस्वीकृत बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत स्वीकार्य है?/A confession made while in police custody is admissible under section 26 of Evidence Act ?

- (a) यदि डॉक्टर की उपस्थिति में बनाया गया हो/if made in the presence of a doctor
- (b) यदि किसी जहाज के कप्तान की उपस्थिति में बनाया गया हो/if made in the presence of a captain of a vessel
- (c) यदि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बनाया गया हो/if made in the presence of a Magistrate
- (d) उपरोक्त सभी।/all the above.

65)धारा 27 नियंत्रित करती है /Section 27 control

- (a) साक्ष्य अधिनियम की धारा 24/section 24 of Evidence Act
- (b) साक्ष्य अधिनियम की धारा 25/section 25 of Evidence Act
- (c) साक्ष्य अधिनियम की धारा 26/section 26 of Evidence Act
- (d) उपरोक्त सभी/all the above.

66)धारा 27 लागू होती है/Section 27 applies to ?

- (a) कुछ ऐसे तथ्यों की खोज जो पुलिस को पहले अन्य स्रोतों से नहीं मिली थी और सबसे पहले आरोपी द्वारा दी गई जानकारी से प्राप्त हुई थी/discovery of some fact which the police had not previously learnt from other sources and was first derived from the information given by the accused
- (b) कुछ तथ्यों की खोज जो पुलिस को पहले अन्य स्रोतों से पता चली थी/discovery of some fact which the police had previously learnt from other sources

- (c) कुछ तथ्यों की खोज जो पुलिस को पहले अन्य स्रोतों से पता चली थी और आरोपी ने भी उसी के संबंध में जानकारी दी है/discovery of some fact which the police had previously learnt from other sources and the accused has also given information regarding the same
- (d) उपरोक्त सभी/all the above

67)साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 'तथ्य की खोज' शामिल है/Under section 27 of Evidence Act, 'discovery of fact includes

- (a) वस्त् मिली/the object found
- (b) वह स्थान जहां से इसका उत्पादन किया जाता है/the place from where it is produced
- (c) दोनों (ए) और (बी)/both (a) & (b)
- (d) न तो (ए) और न ही (बी)।/neither (a) nor (b).

68) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 लागू होती है/Section 27 of Evidence Act applies

- (a) जब सूचना देने वाला व्यक्ति आरोपी है लेकिन पुलिस अभिरक्षा में नहीं है/when the person giving information is an accused but not in police custody
- (b)जब सूचना देने वाला व्यक्ति आरोपी हो और पुलिस अभिरक्षा में हो/when the person giving information is an accused and is in police custody
- (c) जब व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है लेकिन आरोपी नहीं है/when the person is in police custody but not an accused
- (d) जब व्यक्ति न तो पुलिस अभिरक्षा में है और न ही आरोपी है/when the person is neither in police custody nor an accused

69)साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत/Under section 27 of Evidence Act

- (a) संपूर्ण कथन स्वीकार्य है/the whole statement is admissible
- (b) केवल वह भाग जो स्पष्ट रूप से खोज से संबंधित है, स्वीकार्य ह/only that portion which distinctly relates to the discovery is admissible
- (c) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दोनों स्वीकार्य हैं/both are admissible depending on the facts & circumstances of the case
- (d) केवल (ए) और नहीं (बी)/only (a) & not (b).

70)संयुक्त सूचना के परिणामों में खोजे गए तथ्य/Facts discovered in consequences of a joint information

- (a) स्वीकार्य नहीं हैं और किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है/are not admissible and can not be used against any of the accused person
- (b) स्वीकार्य हैं और किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है/are admissible and can be used against any one of the accused person
- (c) स्वीकार्य हैं और सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं/are admissible and can be used against all the accused persons
- (d) दोनों (ए) और (सी) सही हैं।/both (a) & (c) are correct.



Answer key



37-b 38-a 39-a 40-d 41-a 42-b



Estd. 2008

